समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

मो0 गुलाम रहमानी, पिता-स्व0 मो0 आशिक हुसैन, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-11, थाना+जिला-मधेपुरा को एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 2515 प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या-7401124 आई0ओ0एफ0 धारित है। इनके पुत्र मो0 इश्तियाक रहमानी, पिता-स्व0 मो0 गुलाम रहमानी, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-11, थाना+जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- मो0 गुलाम रहमानी की मृत्यु दिनांक 13-09-2014 को हो चुकी है एवं उक्त शस्त्र को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः मो0 इश्तियाक रहमानी द्वारा समर्पित मृत्यु संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र के आलोक में उनके पिता स्व0 मो0 गुलाम रहमानी को प्राप्त दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 2515 को रद्द करते हुए उस पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या-7401124 आई0ओ0एफ0 को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक को मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या-7401124 आई0ओ0एफ0 को अपने प्रतिष्ठान में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 69 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 14-03-2015

प्रतिलिपि : मो0 इश्तियाक रहमानी, पिता- स्व0 मो0 गुलाम रहमानी, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-11, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या 7401124 आई0 ओ0 एफ0 को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करते हुए जमा प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/03/15

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा